बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांकः— *ह0क0सह0— (यो0 हस्त0 सर्वेक्षण)— 19/2016*.. पटना, दिनांकः—

प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सीवान, समस्तीपुर एवं पश्चिम चम्पारण।

विषय :— **विभागीय राज्यादेश सं0 6482 दिनांक 13.12.2016 के क्रियान्वयन से संबंधित दिशा—निर्देश पत्रांक 2021 दिनांक 30.12.2016 में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त राज्यादेश एवं क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा—निर्देश की कंडिका— 3 का संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। वर्णित निर्देश निम्न प्रकार है :—

"उपर्युक्त शर्तो के आधार पर प्रखण्डवार कार्य करने को इच्छुक प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा तथा संबंधित जिला में आवेदन प्राप्त किए जाएगें।"

उक्त के स्थान पर निम्नवत निदेश दिया जाता है —

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 9331 दिनांक 07.12.2016 द्वारा बिहार वित्त नियमावली 1950 के नियम 131 ग एवं 131 घ में संशोधित करते हुए बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2016 जारी किया गया है (संलग्न)। बिहार वित्त नियमावली का पूर्ण अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 2016—17 में राज्यान्तर्गत जिला में अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा की सूचनाएँ एकत्रित करने तथा यूनिक आइडेन्टिफिकेशन संख्या उत्कीर्ण करने का कार्य करने हेतु इच्छुक प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति के चयन की कार्रवाई संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र करेंगे।

निदेशानुसार इस योजना के लिये जारी दिशा—निर्देश पत्रांक 2021 दि0 30.12.2016 को इस हद तक संशोधित किया जाता है। अन्य निर्देश पूर्ववत रहेंगे। यह ध्यान रखा जाय कि यूनिक आइडेन्टिफिकेशन संख्या उत्कीर्ण करने हेतु जिले की पात्र समिति का चयन करेंगे।

अनु0:— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/—
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0– (यो0 हस्त0 सर्वेक्षण)– 19/2016.................................... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सरकार के संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम के आप्त सचिव, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/अपर निदेशक (तक0) हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/संयुक्त उद्योग निदेशक (तक0), हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी, हस्तकरघा सामान्य/सहकारिता, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय एवं उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर एवं गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0 (योजना/हस्तकरघा सर्वेक्षण)–19/2016.........90......... पटना, दिनांक– 25/1/17

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

<u>अ धि सू च ना</u>

7.12.16

पटना दिनांक-

सं०-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि०, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-131ग एवं 131घ में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-

   (1) यह नियमावली बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी ।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

   (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम-131ग के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्ठक एवं शब्द "₹15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र" को अंक, कोष्ठक एवं शब्द "₹50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र" द्वारा तथा नियम-131घ के प्रावधान में प्रयुक्त अंक, कोष्ठक एवं शब्द "प्रत्येक अवसर पर ₹15,000/- (पन्द्रह हजार रूपये) मात्र से अधिक तथा ₹2,00,000/- (दो लाख रूपये) मात्र तक" को अंक, कोष्ठक एवं शब्द "प्रत्येक अवसर पर ₹50,000/- (पचास हजार रूपये) मात्र से अधिक तथा ₹5,00,000/- (पाँच लाख रूपये) मात्र तक" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० **पटना, दिनांक**..7.12.16..

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लें० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को **सूचनार्थ** एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० **पटना, दिनांक**..7.12.16..

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी **कोषागार** पदाधिकारी **को सूचनार्थ** एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

ज्ञापांक:-एम-4-12/2015(खंड)....9331..../वि० **पटना, दिनांक**..7.12.16..

प्रतिलिपि:-ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सचिव (व्यय)

Govt. of Bihar
Finance Department

Notification

Patna, dated..............

No.-M-4-12/2015(Part)....................../F. In exercise of the powers conferred under Article 283(2) of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Financial Rules, 1950 Rule 131C and 131D (as amended from time to time):-

1. Short title, extent and commencement-

   (1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule, 2016.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. The figures, brackets and words "₹15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) only" used in Rule 131C of Bihar Financial Rule, 1950 shall be substituted by the figures, brackets and word "₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only." and "₹15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) only and upto "₹2,00,000/- (Rupees Two Lakh) only on each occasion" used in Rule 131D shall be substituted by the figures, brackets and word "₹50,000/- (Rupees Fifty Thousand) only and upto "₹5,00,000/- (Rupees Five Lakh) only on each occasion"

By order of the Governor of Bihar,

(Rahul Singh)
Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part).......7331......../F. **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-Accountant General, Bihar, Virchand Patel Path, patna-800001 for informantion and necessary action.

Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part).......7331......../F. **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-All Department/All Head of Department/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/All Treasury officer for information and necessary action.

Secretary (Expenditure)

Memo:-M-4-12/2015(Part).......7331......../F. **Patna, Dated**...7.12.16

Copy forwarded to:-e-Gazette Section, Finance Department, Bihar, Patna for informantion and necessary action.

Secretary (Expenditure)